ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री पूरण चन्द भाटिया	01/04/2013 से 22/01/2016
2	श्रीमति अनीता ठाकुर	23/01/2016 से 31/03/2016

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री जसवीर सम्बयाल	01.04.2013 से 15.07.2014
2	श्री शशी कुमार	16.07.2014 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्र• स0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31–03–2016 के अन्तशेष में भारी अन्तर	2.61
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	––
3	6.3	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना।	2.02
4	9	तीन वर्षों से प्राप्य राजस्व की वसूली न करना	0.18
5	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	24.23

6	11	बिना बिल/वाउचरों के विरुद्ध संदिग्ध भुगतान	3.34
7	12	मानदेय का अधिक भुगतान	0.018
8	13	पंचायत सचिव द्वारा पंचायत निधि से व्यक्तिगत व्यय का अनुचित भुगतान	0.02
9	14	सबमर्सीवल पम्प की खरीद में संदिग्ध भुगतान	0.34
10	15	आय का लेखांकन न करना	0.02
11	16	निविदाओं के बिना किया गया क्रय	0.91
12	19.1	क्रय किए गए भण्डार का लेखांकन न करना	3.61

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 30/05/2016 से 03/06/2016 तक ग्राम पंचायत जुखाला के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 10/2013, 01/2015, 01/2016 व 03/2014, 02/2015, 03/2016 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰ उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰ शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं॰ अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–119 दिनांक 01/06/2016 द्वारा सचिव, पंचायत जुखाला से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत जुखाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

4.1 स्व स्त्रोत :— ग्राम पंचायत जुखाला के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट–1"** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013.14	38682	61332	100014	77088	22926
2014.15	22926	50316	73242	46172	27070
2015.16	27070	7183	34253	0	34253

4.2 अनुदानः— ग्राम पंचायत जुखाला के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 तथा 2** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013.14	1095932	2023995	3119927	1944114	1175813
2014.15	1175813	2102031	3277844	1206916	2070928
2015.16	2070928	1757352	3828280	1404803	2423477

5 बैक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹260941.00 का भारी अन्तर :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत जुखाला द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹2,60,941/—का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में है।

क्र॰	खाता			अन्त शेष
	रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसारः—			
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' — पैरा 4(1)			34253.00
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' — पैरा 4(2)			2423477.00
	कुल योग (क):			**2457730.00**
	बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः—			
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	सामान्य निधि	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक लखनपुर	2535	1446.00
2	अनुदान खाता	हि॰प्र॰रा॰स॰ बैंक लखनपुर	2635	1897720.00

3	मिड हिमालय प्रोजैक्ट	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	3208	24529.00
4	मिड हिमालय प्रोजैक्ट	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	3209	847.00
5	आई डबल्यू एम पी	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	5602	149633.00
6	आई डबल्यू एम पी	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	5791	15623.00
7	स्वजल धारा	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	1150	347975.00
8	स्वजल धारा	यूको बैंक जुखाला	12130	200766.00
9	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	4102	80133.00
10	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	2482	0.00
कुल योग (ख):				**2718671.00**
रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख):				**260941.00**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत जुखाला की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत जुखाला के लेखों की जांच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम–विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई हैं:–

(क):– पंचायत द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान, मध्य हिमालय जलागम परियोजना, मनरेगा तथा आई डबल्यू एम पी के लिए चार अलग – अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन चार रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख):– लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत जुखाला में रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग):– हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत जुखाला में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा लैजर खातों के स्थान पर गत उप पैरा में वर्णित तीन योजनाओं के लिए अलग–अलग रोकड़ बहियों का निर्माण करने को ही इस नियम की अनुपालना मान लिया गया है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना तो की ही गई है साथ ही जब कभी उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आंकड़ों को इकट्ठा करने में समय तथा मानव श्रम की अनावश्यक बरबादी होती है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) रोकड़ बही में प्रविष्टियां क्रमानुसार न करनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों की नमूना जांच में पाया गया कि इनमें लेनदेन का लेखांकन क्रमानुसार न करते हुए मनमर्जी से आगे पीछे किया गया है। उदाहरण के लिए ₹2500/–के लिए जारी रसीद संख्या 008974 रोकड़ बही के पृष्ठ 22 पर दिनांक 30–11–2013 में दर्ज की गई है। तदोपरान्त रोकड़ बही के पृष्ठ 27 पर दिनांक 31–8–2013 के लिए प्रविष्टियां करते हुए रसीद संख्या 008950 से 008973 तक कुल ₹2400/–के लिए दर्ज की गई हैं। जाहिर है कि यह रसीदें रसीद संख्या 008974 से पहले ही जारी की गई थीं परन्तु इनका लेखांकन बाद में किया गया है। यह प्रकरण रोकड़ बही तथा पंचायत के लेनदेन की सत्यतता को संदिग्ध बनाता है। यह प्रकरण मात्र उदाहरण हेतु लिया गया है तथा ऐसे ही और कई मामले रोकड़ बहियों में विद्यमान हैं। अतः इस मामले में पंचायत द्वारा गहन छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध दस बैंक बचत खातों का खोला जाना :–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत जुखाला में दो के स्थान गत पैरा 5(1) में वर्णित दस बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन आठ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता 'ख' के ₹202336/—के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत जुखाला के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹2,02,336/—खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक **खाता 'ख'** के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त **खाता 'क'** में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	माह/वर्ष						कुल ब्याज
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	
2635	3710.00	3402.00	5912.00	17598.00	28697.00	32945.00	92264.00
2482	3737.00	1630.00	52.00	171.00	0.00	0.00	5590.00
4102	757.00	1669.00	996.00	1180.00	88.00	673.00	5363.00
5602	986.00	7953.00	3991.00	4979.00	2751.00	3034.00	23694.00
5791	0.00	0.00	0.00	15.00	301.00	307.00	623.00
12130	6032.00	5748.00	5226.00	5815.00	5337.00	6274.00	34432.00
1150	6617.00	6426.00	6447.00	6680.00	6767.00	6841.00	39778.00
3208	240.00	0.00	144.00	146.00	0.00	0.00	530.00
3209	15.00	15.00	16.00	16.00	0.00	0.00	62.00
कुल योग	**22094.00**	**26843.00**	**22784.00**	**36600.00**	**43941.00**	**50074.00**	**202336.00**

6.4 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत जुखाला द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

7 **निवेश :–** ग्राम पंचायत जुखाला द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा (Fixd Deposit) में निवेश नहीं किया गया था।

8 **बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–**

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 **पंचायत राजस्व ₹18,120/–का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–**

पंचायत सहायक ग्राम पंचायत जुखाला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व **₹18,120/–**की वसूली शेष थी।

गृहकर :– पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 740 के लिए ₹10 प्रति परिवार की दर से

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013.14	——	7400.00	7400.00	2400.00	5000.00
2014.15	5000.00	7400.00	12400.00	0.00	12400.00
2015.16	12400.00	7400.00	19800.00	1680.00	18120.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पश्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

10 **अनुदान की राशि ₹24.23 लाख का अवरोधनः–**

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹24,23,477/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी। यदि इन्हीं परिशिष्टों में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अवरोधित अनुदान राशियों की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। जहां 31–03–2014 को यह रु 11.76 लाख थी वहीं 31–03–2016 तक यह बढ़कर ₹24.

23 लाख हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 बिल वाउचरों के बिना किया गया ₹3.34 लाख का संदिग्ध व्ययः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब—वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹3,33,599/—के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण **परिशिष्ट '3'** में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, में ही अपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है तथा पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तिकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 पंचायत प्रधान को मानदेय के रुप में ₹1800 का अधिक भुगतानः—

श्री पूर्ण चन्द भाटिया, तत्कालीन पंचायत प्रधान को मानदेय रजिस्टर के पृष्ठ 38 पर प्रविष्टि के अनुसार माह अक्तूबर व नवंबर 2014 के लिए मानदेय ₹1800/— प्रतिमाह की दर से कुल ₹3600/—का भुगतान चैक संख्या 863341 द्वारा दिनांक 22.12.2014 को किया गया है जिसका लेखांकन रोकड़ बही के पृष्ठ 38 पर किया गया है। तत्पश्चात मानदेय रजिस्टर के पृष्ठ 39 पर प्रविष्टि के अनुसार माह नवंबर व दिसंबर 2014 के लिए मानदेय ₹1800/—प्रतिमाह की दर से कुल ₹3600/—का भुगतान चैक संख्या 640554 द्वारा दिनांक 13.2.20015 को किया गया है जिसका लेखांकन रोकड़ बही के पृष्ठ 41 पर किया गया है। इस प्रकार तत्कालीन पंचायत प्रधान को माह नवंबर के लिए मानदेय के रूप में दोहरा भुगतान करते

हुए रु1800/–का अनुचित व अधिक भुगतान किया गया है। इस अनुचित भुगतान की वसूली प्रथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए। यह दोहरा भुगतान चयनित माह हेतु नमूना जांच के दौरान पकड़ में आया है। अतः पंचायत द्वारा इस प्रकरण की अपने स्तर पर गहन जांच करते हुए यदि ऐसा ही कोई अन्य मामला भी सामने आता है तो उसकी वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 पंचायत सचिव द्वारा पंचायत निधि से व्यक्तिगत व्यय का अनुचित भुगतानः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 (आई) के अनुसार पंचायत निधि के **खाता 'क'** में से पंचायत की गतिविधियों के प्रचार/विज्ञापन पर प्रतिवर्ष ₹2000/–तक का व्यय किया जा सकता है। ग्राम पंचायत जुखाला के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ 28 पर वाउचर संख्या 2 द्वारा दिनांक 11/4/2014 को ₹2000/–का भुगतान 'दिव्य हिमाचल' दैनिक समाचार पत्र को विज्ञापन छपवाने के बदले में किया गया है। वाउचर की जांच से स्पष्ट हुआ कि इस विज्ञापन में तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा हि• प्र• पंचायत सचिव संघ के संगठन महामंत्री के रूप में महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं न कि किसी भी प्रकार की पंचायत गतिविधियों का प्रचार किया गया है जिस कारण से यह विज्ञापन किसी भी प्रकार से पंचायत निधि पर उचित प्रभार न हो कर तत्कालीन पंचायत सचिव का व्यक्तिगत व्यय है। अतः इस अनुचित व्यय की सम्बन्धित अधिकारी से प्राथमिकता के आधार पर वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 सबमर्सीवल पम्प की खरीद में गम्भीर अनियमितताएं :–

ग्राम पंचायत जुखाला के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ 28 पर वाउचर संख्या 1 द्वारा दिनांक 11/4/2014 को ₹33989/– का भुगतान सबमर्सीवल पम्प की खरीद के लिए दर्ज किया गया है। वाउचर की गहन जांच में पाया गया कि यह भुगतान बंसी लाल दुनी चंद, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि प्र को उनके बिल संख्या 566 दिनांक 5.4.2014 के विरूद्ध किया गया है परन्तु इस बिल के अनुसार पम्प का वास्तविक मूल्य ₹60000/–है। इस प्रकार इस पम्प के लिए ₹26011/–का कम भुगतान किया गया है जिस बारे में कोई स्पटीकरण/कारण वाउचर के साथ उपलब्ध अभिलेख में नहीं पाया गया न ही इस पम्प की स्टॉक प्रविष्टि की गई है। जिससे यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः अब इस प्रकरण की जांच पंचायत द्वारा अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 ₹2000/–के प्राप्त राजस्व के बैंक ड्राफ्ट को बैंक में जमा न करवानाः–

ग्राम पंचायत जुखाला की रसीद संख्या 009705 दिनांक 21–06–2014 (जो कि 21–05–2014 से काट कर 21–06–2014 बनाई गई है) से ए. टी. सी. इन्डिया टॉवरज़ से

स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया बिलासपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 303178 दिनांक 23–04–2014 द्वारा टॉवर शुल्क के ₹2000/–प्राप्त हुए थे। इस ड्राफ्ट की वैधता तीन माह की थी। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से पंचायत द्वारा इस ड्राफ्ट को बैंक में जमा करवाने के स्थान पर मूल रूप में ही सामान्य निधि की वाउचर फाइल में वाउचर संख्या 31 व 32 के बीच नत्थी करके रख दिया गया है। इस आय का लेखांकन रोकड़ बही में भी नहीं किया गया है। इस प्रकार पंचायत को बिना किसी कारण के ₹2000/–की हानि उठानी पड़ी है। अतः शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकरण में कार्यवाही करते हुए इस राशि की वसूली दोषी अधिकारी से अथवा उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹91,353/–के स्टाक/स्टोर का क्रय करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) **व 67(5)** द्वारा स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹91,353/–के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके।

क्र	निधि	दिनांक	रो• ब• पृष्ठ	वाउचर सं•	क्रय की गई सामग्री	राशि
1	नरेगा	26.9.13	2	6	निर्माण कार्य सम्बन्धी औजार	3500.00
2	नरेगा	26.9.13	2	7	–यथोपरि–	3500.00
3	सामान्य	11.4.14	28	1	सबमर्सीवल पम्प	33989.00
4	सामान्य	17.7.15	50	9	निर्माण सामग्री	50364.00
					कुल योगः–	**91353.00**

17 डाक व्यय का लेखांकन न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8(डी) में पंचायत के डाक व्यय को पंचायत निधि के **खाता 'क'** में से किए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत जुखाला के डाक प्रेषण रजिस्टर की नमूना जांच में पाया गया है कि पंचायत द्वारा डाक व्यय तो किया जाता है परन्तु व्यय सम्बन्धी प्रविष्टियां रोकड़ बही में नहीं की गई हैं। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18 रसीदों से सम्बन्धित अनियमितताएंः—

18.1 एक समय में एक से अधिक रसीद बुकों का अनुचित प्रयोगः—

लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंचायत में एक समय में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत जुखाला के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि यहां पर निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दौरान एक साथ छः रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है जिनमें अंकेक्षण के समय तक बहुत सी खाली रसीदें पड़ी थीं।

क्र	रसीद बुक	खाली रसीदें	खाली रसीदों की संख्या
1	008501 — 008600	008584 — 008600	17
2	009501 — 009600	009522 — 009600	79
3	008601 — 008700	008636 — 008700	65
4	008901 — 009000	008975 — 009000	26
5	009202 — 009300	009234 — 009300	67
6	009701 — 009800	009776 — 009800	25

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतयः इन खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

18.2 दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अधिकतर प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों के अस्थाई दुर्विनियोजन की भी सम्भावना है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 भंडारण पुस्तकों (Stock/Store Registers) के रख—रखाव में त्रुटियांः—

19.1 क्रय किए गए स्थाई व अस्थाई भण्डार का भण्डारण पुस्तकों में इन्द्राज़ न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1)(ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई अथवा अस्थाई प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत जुखाला के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—4** पर संकलित लगभग ₹3,60,783/—के भण्डार को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया है। जिस बारे में

स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

19.2 भण्डारण पुस्तकों का रख रखाव उचित तरीके से न करना:–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत जुखाला में खरीदे गए सामान का इन्द्राज़ करते समय उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण पुस्तकें लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त अब तक भण्डार पुस्तकों में दर्ज न किए गए उपरोक्त पैरा 18.1 में वर्णित सामान का इन्द्राज़ किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

19.3 प्रत्यक्ष सत्यापन:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)

5	विभिन्न अनुदानों के लैजर खाते	7	29(1)
6	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (a – b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 विविध अनियमितताएः–

21.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत जुखाला द्वारा नहीं की जा रही है।

21.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

21.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रतयेक बैठक में भाग लेने हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत जुखाला के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 लघु आपति विवरणिका :– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

23 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव निम्नानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(12) 5/2016—खण्ड—1—5036—5039 दिनाँकः19.09.2016
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत जुखाला, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर,, हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिश्ट '3'

बिना बिल वाउचरों के किया गया संदिग्ध व्यय (पैरा 11 में सन्दर्भित):—

क्र•	दिनांक	वाउचर	रो. ब. पृश्ठ	विवरण	राशि
	मनरेगाः				
1	7.9.13	2 व 3	1	सीमेन्ट ढुलाई	2500.00
2	13.3.14	——	2	सीमेन्ट ढुलाई	2500.00
3	7.11.14	5	13	सीमेन्ट ढुलाई	2500.00
4	7.11.14	6	15	सीमेन्ट ढुलाई	600.00
5	11.8.15	3	23	रेत व बजरी	4000.00
6	11.8.15	4	23	रेत	3500.00
7	11.8.15	5	23	रेत	3500.00
8	11.8.15	6	23	बजरी	3600.00
9	11.8.15	7	23	रेत	4800.00
10	11.8.15	8	23	रेत व बजरी	3900.00
11	11.8.15	9	23	रेत व बजरी	3900.00
12	11.8.15	9 (बिल)	24	रेत व बजरी	3900.00
13	24.9.15	15	25	रेत	4500.00
14	24.9.15	16	25	रेत	4500.00
15	24.9.15	17	25	रेत	4500.00
16	24.9.15	18	25	बजरी	3600.00
17	24.9.15	——	25	सरिया	7717.00
	आई डबल्यू एम पीः				
18	1.11.13	——	1	सीमेन्ट	37800.00
19	10.3.14	——	2	सीमेन्ट	37800.00
20	11.4.14	1	4	रेत बजरी व षटरिंग	20498.00
21	9.6.15	——	13	सीमेन्ट	7184.00
22	26.12.13	——	2	सीमेन्ट ढुलाई	3500.00
23	28.1.14	——	2	रेत	15000.00
24	24.2.14	——	2	रेत व बजरी	50000.00
25	13.3.14	——	2	सीमेन्ट ढुलाई	2500.00
26	21.3.14	——	3	बजरी	18500.00
27	21.3.14	——	3	षटरिंग	15600.00
28	21.3.14	——	3	रेत व बजरी	14500.00
	मध्य हिमालय जलागम परियोजनाः				
29	16.7.14		16	पत्थर	14500.00
30	11.9.15		17	रेत बजरी व षटरिंग	32200.00
				कुल योगः	**333599.00**

परिशिश्ट—4

स्टाक स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविश्टियां भण्डार पुस्तिकाओं में न करना (पैरा 18.1 18.2 में संदर्भित):—

क्र॰	दिनांक	वाउचर	रो. ब. पृश्ठ	विवरण	राशि
	मनरेगाः				
1	13.9.13	4	1	गैंती, बेलचे तसले आदि	1507.00
2	26.9.13	6	2	—यथोपरि—	3500.00
3	26.9.13	7	2	—यथोपरि—	3500.00
4	7.11.14	4	13	सीमेन्ट	36945.00
5	11.8.15	2	23	सरिया	5720.00
6	11.8.15	3	23	रेत व बजरी	4000.00
7	11.8.15	4	23	रेत	3500.00
8	11.8.15	5	23	रेत	3500.00
9	11.8.15	6	23	बजरी	3600.00
10	11.8.15	7	23	रेत	4800.00
11	11.8.15	8	23	रेत व बजरी	3900.00
12	11.8.15	9	23	रेत व बजरी	3900.00
13	11.8.15	9 (बिल)	24	रेत व बजरी	3900.00
14	24.9.15	15	25	रेत	4500.00
15	24.9.15	16	25	रेत	4500.00
16	24.9.15	17	25	रेत	4500.00
17	24.9.15	18	25	बजरी	3600.00
18	24.9.15	——	25	सरिया	7717.00
	आई डबल्यू एम पीः				
19	1.11.13	——	1	सीमेन्ट	37800.00
20	10.3.14	——	2	सीमेन्ट	37800.00
21	9.6.15	——	13	सीमेन्ट	7184.00
22	28.1.14	——	2	रेत	15000.00
23	24.2.14	——	2	रेत व बजरी	50000.00
24	21.3.14	——	3	बजरी	18500.00
25	21.3.14	——	3	षटरिंग	15600.00
26	21.3.14	——	3	रेत व बजरी	14500.00
	मध्य हिमालय जलागम परियोजनाः				
27	8.8.15	1	16	सरिया	12000.00
28	8.8.15	2	16	सरिया	12000.00
29	8/15	——	17	सीमेन्ट व तारें	19950.00
30	11.9.15	——	17	सरिया	13360.00
				कुल योगः	**360783.00**